Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

सामाजिक संदर्भों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं भारतीय 'संविधान-निर्माण' एक अध्ययन

Dr. Okendra*

PhD Hindi Literature, Department of Hindi, Uttarakhand

सारांश – *भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के सम्बन्ध में अद्‌वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिये गये हैं भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं, जो उसे विभिन्न देशों के संविधानों से अलग महत्व प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है सन् 1949-50 में अपनाए गए संविधान के अने क वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।*

अतः किसी देश अथवा राज्य का संविधान उन नियमों एवं कानूनों का संकलन है जिनके आधार पर उस देश अथवा राज्य की सरकार के संगठन एवं उसके कार्यों, सरकार के विविध अंगों पारस्परिक सम्बन्धों, समस्त नागरिकों के नागरिक अधिकारों एवं कत्तव्यों तथा उस देश के विभिन्न राज्यों के साथ उनके सम्बन्धों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

----------X----------

सामाजिक संदर्भों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर:

संक्षिप्त-एक विवरण:

भारत को भारतीय-संविधान देने वाले महान समाज सुधारक डॉ. भीमराव अम्बे डकर को हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। यह भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाजसुधारक थे। उन्होंने दलित-बौद्ध आन्दोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेद-भाव के विरूद्ध अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया तथा वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं 'भारतीय-संविधान' के प्रमुख लेखक, वास्तुकार थे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कोलम्बिया विश्वविद्‌यालय और लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्‌यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तथा अर्थशास्त्र एवं राजनीतिविज्ञान में शोधकार्य के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की। प्रारम्भिक जीवन में वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत की। बाद में सारा जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता। अपने विवादास्पद विचारों, और गांधी जी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्‌वितीय विद्‌वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् देश में कांग्रेस ने तृत्व की सरकार ने उन्हें देश के पहले कानून मन्त्री के रूप में सेवा करने के लिए आमन्त्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तथा 29 अगस्त 1947 को डॉ. अम्बेडकर को 'स्वतन्त्र भारत' के नए 'संविधान' की रचना के लिए बनी 'संविधान मसौदा समिति' के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया तथा 26 नवम्बर 1949 को डॉ. भीवराव अम्बेडकर कृत संविधान को 'भारतीय संविधान सभा' द्‌वारा स्वीकृत कर अपना लिया गया तथा पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को लागू कर दिया गया। सन् 1956 ई. में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया तथा 6 दिसम्बर 1956 को माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का स्वर्गवास हो गया।

"भारत के प्रथम विधि मन्त्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान सभा में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया उनके इसी प्रयास के कारण भारतीय संविधान अस्तित्व में आ पाया। उन्हें अपनी तर्कसंगत एवं न्यायिक व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें "भारत के संविधान के पिता" के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के हितकर निर्विवाद नेता और भारत के 'संविधान' के प्रमुख निर्माता शिल्पकार, को 'आधुनिक' 'मनु' की 'संज्ञा' भी दी जाती है।"

www.ignited.in

भारतीय-संविधान नवीनतम संदर्भित रूप में :

किसी देश अथवा राज्य में शासन की व्यवस्था के लिए उस देश/राज्य का संविधान होना अति आवश्यक है। संविधान के माध्यम से ही सरकार के स्वरूप एवं कार्यों का निर्धारण होता है। सरकार विविध अंगों एवं राज्य व नागरिकों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध हों, इसका

निश्चय भी सं विधान ही करता है। इस प्रकार देश/राज्य की सरकार के संगठन एवं प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण एवं संचालन में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश/राज्य का संविधान ही उसकी विभिन्न गतिविधियों का दर्पण होता है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोई राज्य कहाँ तक जनकल्यणकारी है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संविधान ही किसी दे श-राज्य के शासन की सफलता की आधारशिला है। इसके अभाव में किसी देश-राज्य की लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती है। इस सम्बन्ध में विभिन्न लेखकों-विचारकों के द्वारा विभिन्न उल्ले खनीय परिभाषाएँ दी गयी हैं जिनका विवरण निम्नवत है-

उक्त के क्रम में 'जैलीनेक' का यह कथन उल्लेखनीय है-

"संविधान रहित राज्य, राज्य न होकर स्वे च्छाचारित(अराजकता) का शासन कहा जाऐ गा"।

'गिलक्राइस्ट' के अनुसार-

"संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का संकलन होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण और उन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं।"

'गैटिल' के शब्दों में-

"संविधान उन आधारभूत सिद्धान्तों को कहते हैं जिनसे किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है।"

प्रो0 'डायसी' के अनुसार-

"संविधान उन समस्त नियमों का संकलन है जिनका राज्य की सम्प्रभुता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप् से प्रभाव पड़ता है।"

'फाइनर' के अनुसार-

"संविधान मू लभूत राजनीतिक सं स्थाओं की व्यवस्था है"।

'लीकॉक' के अनुसार-

"किसी राज्य के ढाँचे को उस राज्य का संविधान कहते हैं।"

'ब्राइस' के अनुसार-

"किसी राज्य या राष्ट्र के संविधान का निर्माण उन नियमों अथवा कानूनों के योग से होता है जो सरकार के स्वरूप एवं सरकार के प्रति नागरिकों के अधिकारों व कत्तव्यों का निर्धारण करते हैं।"

संदर्भित नवीनतम रूप में भारतीय-संविधान की आवश्यकता:

भारत में संविधान सभा की आवश्यकता आजादी के काफी समय पहले से ही अनुभव की जा रही थी। यह सामान्यतः हमारी स्वतन्त्रता की ही प्रतिध्वनि थी। 1895 ई0 में लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार "स्वराज बिल" इस दिशा में पहला कदम माना जाता है। तथा 1922 ई. में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस विचार का आगे बढ़ाया, उनके कथनानूसार, "स्वराज निश्चित रूप से भारतीयों की इच्छाओं पर ही आधारित होना चाहिए"। 1924 ई. में पं. मोतीलाल ने हरू और 1928 ई. में पं. जवाहर लाल ने हरू ने संविधान सभा का अर्थ और महत्व बताया तथा 1939 ई0 में कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव पारित किया- "भारतीय अपने स्वशासन के लिए संविधान का निर्माण स्वयं करेंगें"

अंग्रेजों के लागातार विरोध किये जाने पर भी अन्त में विवश हो कर अगस्त 1940 ई0 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार को कहना पड़ा कि "भारत का संविधान प्रकृतितः स्वयं भारतीय ही बनाएँगें। 1942 ई0 की क्रिप्स योजना भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं की गयी। अन्ततः 1946 ई0 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव व्यवहार में सामने आया।

संदर्भित भारतीय-संविधान सभा का गठन:

16 मई, 1946 ई0 मो कैबिनेट मिशन ने अपना वक्तव्य प्रकाशित किया कि भारतीय लोग स्वयं ही भारत का भावी संविधान निश्चित करें और तब तक प्रशासन के संचालन हेतु एक अन्तिरिम सरकार बना दी जाए। इस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि से जुलाई 1946 ई0 में चुनाव कराए गये। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार चुनाव द्वारा कुल 389 सदस्य चुने जाने थे। जिनमें से 296 सदस्य प्रान्तों से और 93 सदस्य भारतीय राज्यों की

www.ignited.in

रियासतों से चुने जाने थे। इनमें ब्रिटिश भारतीय सदस्यों में 210 हिन्दू, 78 मुस्लिम और 4 सिक्खों का प्रावधान था। बाद में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग पर अड़ने के कारण पाकिस्तान के अलग होने पर कुल 389 सदस्यों में से 79 सदस्य अलग हो गए थे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गये थे जो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की माँग के आधार पर संविधान सभा से हट गये। अतः शेष सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा का गठन हुआ और इन्हें भारत के संविधान के निर्माण् का दायित्व सौंपा गया। फलस्वरूप यह सभा 'संविधान निर्माण सभा' अथवा 'संविधान सभा' कहलायी।

भारतीय-संविधान निंमाण करने वाली विभिन्न समितियाँ और उनका प्रारूप:

भारतीय-संविधान सभा का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए अनेक समितियाँ बनायी गयीं जो निम्न प्रकार हैं-

1. भारतीय-संविधान की प्रक्रिया सम्बन्धि समाधानों के लिए समिति:

संदर्भित समितियाँ निम्नवत हैं-

1- प्रक्रिया समिति,

2- वात्ता समिति,

3- संचालन समिति,

4- कार्य समिति।

2. भारतीय-संविधान निंमाण करने वाली समिति:

संदर्भित समितियाँ निम्नवत हैं-

1- संघ संविधान समिति,

2- संघ शक्ति समिति,

3- प्रान्तीय संविधान समिति,

4- परामर्शदात्री समिति,

5- मूल अधिकार समिति,

6- अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित समिति,

7- प्रारूप समिति।

अतः संविधान सभा की उपरोक्त समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वही समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मे दारी सौंपी गयी थी। इस समिति में सात सदस्य थे जिनके नाम निम्नवत हैं-

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष),
2. एन. गोपालस्वामी आयंगार,
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,
4. डॉ. के. एम. मुंशी,
5. सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला,
6. एन. माधवराव,
7. टी.टी. कृष्णामचारी।

विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। तथा प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में छः माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुईं।

भारतीय-संविधान का वास्तविक रूप में अस्तित्व में आना:

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवम्बर 1948 को संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पड़ा गया था। संविधान सभा में इस पर पाँच दिन तक गहन चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। तथा संविधान पर दूसरी बार 15 नवम्बर 1948 से विचार होना प्रारम्भ हुआ। इसमें संविधान पर खण्डवार विचार किया गया और यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आये, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा मे चर्चा हो सकी।

संविधान पर तीसरी बार पुनः 14 नवम्बर 1949 से पुनः विचार हो ना प्रारम्भ हुआ। तथा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 'द

www.ignited.in

कॉन्स्टिट्यूशन ऐज सैटल्ड बाई द असेम्बली बिल पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। तथा संविधान के प्रारूप पर पेश किये गये इस प्रस्ताव को 26 नवम्बर 1949 को सर्वसहमति से पारित कर, घोषित कर दिया गया। तथा सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष ने इस पर सर्वसहमति से हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन के वल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने उक्त भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कर संविधान को भारतीय नागरिकों हेतु समर्पित कर, भारतीय संविधान को अपनाकर 'संविधान' लागू किया।

अतः संविधान की प्रस्तावना में 26 नवम्बर 1949 के दिन का उल्लेख, उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में भारतीय वास्तविक संविधान को अपनाया और लागू किया तथा स्वयं को भारतीय संविधान सौंपा।

संदर्भित भारतीय-संविधान का वास्तविक प्रवर्तन:

26 नवम्बर 1949 को को अपनाए गए भारतीय संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इस प्रस्ताव को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। 26 नवम्बर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ-संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनूच्छे द 5, 6, 7, 8, 9, 60 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, और 393 स्वतः ही लागू हो गये। अतः संविधान के शेष प्रारूप-प्रावधान वास्तविक रूप से 26 जनवरी 1950 ई0 को लागू हुए। तथा इसी दिन (26 जनवरी 1950 ई0) को भारतीय संविधान की शुरूआत के रूप में दे खा जाता है। और इसी दिन (26 जनवरी 1950 ई.) को भारत में भारतीय-संविधान के लागू होने के दिवस के रूप में 'गणतन्त्र-दिवस' के रूप में सम्पूर्ण भारतवर्ष में 'राष्ट्रीय-पर्व' के रूप में 'भारतीय-नागरिकों' द्वारा हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है। जो हमारी 'राष्ट्रीय-एकता' एवं 'अखण्डता' का द्योत्तक है।

(26 जनवरी 1950 ई0 के इस दिन को संविधान की शुरूआत के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर 1929) में पारित हुए 'संकल्प-पत्र' के आधार पर ही इसी दिन "पूर्ण स्वराज दिवस" मनाया गया था।)

भारतीय-संविधान निर्माण के विभिन्न संदर्भित स्रोत:

भारतीय संविधान के निर्माण में देशी और विदेशी अनेकों स्रोतों का उपयोग किया है और संदर्भित प्रभाव हमारे संविधान के आधार हैं।

वास्तव में भारतीय संविधान को व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश की गयी थी न कि मौलिक और प्रायोगिक, इसमें अनेक देशों के संविधानों से आवश्यक व्यवस्थाएँ ग्रहण की गयी थीं। अतः भारतीय संविधान को विभिन्न देशों के संविधानों का मिश्रण कहा जाता है। इस सम्बन्ध में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था-

"कुछ लोग इसे 'बैग ऑफ़ बारोइंग्स' (उधार-झोला) कहते हैं। यह गलत है। उधार लेना काई साहित्यक चोरी नहीं है। शासन एवं विधान के आधारभूत सिद्धान्तों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधा न व्यावहारिक है। इसमें परिवर्तन की क्षमता है। और इसमें शान्तिकाल तथा युद्धकाल में देश में देश की एकता एवं राष्ट्रीयभावना को बनाए रखने का सामर्थ है। यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है वरन् हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है।"

अतः डॉ. भीमराव अम्बेडकर कृत संविधान की रूपरेखा के अनुसार ही आज हमारे भारतीय सं विधान में प्रत्येक देशवासियों के प्रति जो इस देश में निवास करते हैं तथा भारत के नागरिक हैं के लिए भारतीय सं विधान के अनूसार छः मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिये हैं, जो भारतीय संविधान को सर्वोपरिः बनाता है। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है-

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18),
2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22),
3. शोषण के विरूद्ध स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 23-24),
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28),
5. सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29-30),

www.ignited.in

6. संवेधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)।

निष्कर्ष:

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी कृत स्वतन्त्र भारत का संविधान, भारतवासियों के लिए उनके अपने द्वारा बनाए गए संवेधानिक नियमों, विनियमों की आचार-संहिता के रूप में संसार के अनेकों संविधानों की अनुकूल विषयों, व्यवस्थाओं तथा अनुकूल तथ्यों की नियमावलियों को लेकर बनाया गया है। जिसमें इसके लागू होने के उपरान्त आने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय-संविधान में नियमानूसार विभिन्न संशोधन भी किये जा सकते हैं तथा भारतीय-संविधान की संवैधानिक व्यवस्था में प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न 'नागरिक अधिकार' एवं 'मौलिक अधिकार' भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किये गये हैं।

संदर्भ-ग्रन्थ सूची:

1. डॉ. कुलश्रेष्ठ, सुभाष चन्द्र नागरिक शास्त्र, एक्सीलेण्ट पब्लिकेशन, इण्डिस्ट्रियल एरिया, मथुरा (पृ0सं0-162,163 एवं 301 और 302)।

2. एम., लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, मैक-ग्रोहिल एजुकेशन प्रा.लि. पब्लिकेशन्स, चैन्नई (पृ.सं.- 2.2, 2.4, एवं 2.5 और 3.2)।

3. तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन (लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर) 24 मार्च 1946 को भारत पहुँचा। उसने अपनी योजना को 16 मई, 1946 को प्रकाशित किया। (पृ0सं 0- 2.8 उपरोक्त)।

4. भारतदर्शन ऑनलाइन हिन्दी साहित्यिक पत्रिका http://www.bharatdarshan.co.nz/magazine/articles/170/ambedkar-biography.html

5. इंटरनेट स्रोत https://hi.wikipedia.org/wiki/बी.आर.अम्बेडकर

Corresponding Author

Dr. Okendra*

PhD Hindi Literature, Department of Hindi, Uttarakhand

mr.okendra@gmail.com